उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड– 249404

संख्या :: 159/10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23 दिनाँक :: 04 अक्टूबर, 2023

विज्ञप्ति
उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा–2022

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा–2022* के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 23.08.2023 से 26.08.2023 तक निर्धारित की गयी थी। उक्त के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका 229, 242, 243 एवं 265 ऑफ 2023 के विचाराधीन होने के क्रम में मुख्य परीक्षा स्थगित की गयी थी।

2. सूचित किया जाता है कि रिट याचिका 229, 242, 243 एवं 265 ऑफ 2023 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित **निर्णय दिनांक 13.09.2023** के क्रम में प्रारम्भिक परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम विज्ञप्ति सं0– 170/07/सि0न्याया0/G-2/2023-24 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल **237 अभ्यर्थियों** को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया है।

3. अवगत कराना है कि **पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम दिनांक 27.09.2023 में सफल घोषित नवीन अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम दिनांक 29 मई, 2023 के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु पूर्व में शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, उन अभ्यर्थियों को पुनः शुल्क का भुगतान नहीं करना है।**

शुल्क भुगतान हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु, निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करें।

4. मुख्य परीक्षा का आयोजन **दिनांक 05.12.2023 से परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा के शुल्क का भुगतान **Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment** के माध्यम से जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैः–

1)	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI Payment** के माध्यम से जमा किये जाने की प्रारंभ तिथि–	**05.10.2023**
2)	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card /Credit Card/UPI Payment** के माध्यम से जमा किये जाने की अंतिम तिथि–	**16.10.2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)**

5. उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 16.10.2023 के पश्चात परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अंतिम तिथि के पश्चात शुल्क जमा किये जाने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा एवं विज्ञापन सं0–10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23 दिनांक 01 मार्च, 2023 के बिन्दु सं0–32 की शर्तानुसार अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा–2023 हेतु जारी विज्ञापन के बिन्दु सं0–17 के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है–

क्र0 सं0 (Sr. No.)	**श्रेणी (Category)**	**आवेदन–शुल्क (Application Fees)**	**प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)**	**कुल शुल्क (Total Fess)**
01.	अनारक्षित **(Unreserved)**	रू0 250	रू0 22.30	रू0 272.30
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(E.W.S.)**	रू0 250	रू0 22.30	रू0 272.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग **(O.B.C.)**	रू0 250	रू0 22.30	रू0 272.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति **(SC)**	रू0 100	रू0 22.30	रू0 122.30
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति **(ST)**	रू0 100	रू0 22.30	रू0 122.30
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे **(Orphan)**	**कोई शुल्क नहीं**	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (मात्र चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग) **(PWD)**	**कोई शुल्क नहीं**	रू0 22.30	रू0 22.30

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

7. अभ्यर्थियों द्वारा इस स्तर पर अपने कोई भी अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रेषित नहीं किये जाने हैं। मुख्य परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

*** शुद्धिपत्र / विज्ञप्ति सं0–104 /10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23 दिनाँक :: 27 जुलाई, 2023 के माध्यम से विज्ञापन संख्या– 10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23 दिनांक 01 मार्च, 2023 के अन्तर्गत विज्ञापित उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा–2023 का नाम संशोधित करते हुए उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा–2022 किया गया है।**

-Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव